



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority



पी. डी. एम. प्रभाग

दिनांक: 13.04.2018

सेवा में,

श्री सांतनु बासु,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड,
विद्युत उन्नयन भवन,
प्लॉट नं .3 सी, एल ए -ब्लॉक,
सेक्टर-III, साल्ट लेक
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700098

विषय: पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), पश्चिम बंगाल के बंडेल थर्मल पावर स्टेशन यूनिट -3 और 4 (2x60 मेगावाट) की डिमिशनिंग के बारे में
सन्दर्भ 1. पीडीसी-सीएमडी -017-252 दिनांक 25-10-2017
2. निदेशक (पी) /1744 दिनांक 28-11-2017
3. डब्ल्यूबीपीडीसीएल /निदेशक (ओ एंड एम) /586 दिनांक 03-04-2018

महोदय,

यह आपके ऊपर दिए गए पत्रों के संबंध में है, जो बंडेल थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट सं. 3 और 4 (2x60 मेगावाट) को बंद करने के संबंध में हैं। पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत विवरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देखा गया है।

यह देखा गया है कि बंडेल टीपीएस के यूनिट सं. 3 और 4 (2x60 मेगावाट) को रिटायर करने का फैसला डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा बहुत लंबी सेवा अवधि (50 वर्ष से अधिक) और पुरानी तकनीक के कारण लिया गया है। 24 नवंबर, 2017 को आयोजित डब्ल्यूबीपीडीसीएल के निदेशक मंडल की 185 वीं बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पश्चिम बंगाल के बंडेल थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की यूनिट सं. 3 और 4 (2x60 मेगावाट) को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने 23 मार्च, 2018 को आयोजित कैबिनेट में अपने फैसले में बीटीपीएस की इकाइयों 3 और 4 को बंद करने एवं हटाने का निर्णय लिया है।

बंडेल थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट सं. 3 और 4 (2x60 मेगावाट) को रिटायर करने का निर्णय डब्ल्यूबीपीडीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उनके स्वयं के तकनीकी-आर्थिक कारणों से लिया गया है और उनके निर्णय के आधार पर के.वि.प्रा. द्वारा इन इकाइयों की स्थापित क्षमता को अखिल भारतीय स्थापित क्षमता के रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है।

भवदीय,

Signature Not Verified (पी.सी. कुरील)
Digitally signed by पी.सी. कुरील
Date: 2018.04.26 12:23:04 IST

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
3. सदस्य (योजना/ जल विद्युत/ तापीय/ आ.एवं वा. / जी.ओ.एंड डी./ पी.एस.), के.वि.प्रा.

4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता
5. के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान
6. आई.टी.प्रभाग, के.वि.प्रा को के.वि.प्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए